एक नजर में

दो आरोपी जिला बदर

खंडवा । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभिन्न अपराधों में शामिल दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही 2 अन्य आरोपियों को 1-1 लाख रूपये के बंधपत्र भरकर जमा कराने के लिए आदेशित किया है। जारी आदेश अनुसार रवि पिता गयादीन वर्मा निवासी बीड़ थाना मूंदी तथा शुभम श्रीवास्तव पिता अनिल श्रीवास्तव निवासी दादाजी वार्ड संजय नगर, थाना पदमनगर को एक-एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। इस अवधि में ये दोनों आरोपी न केवल खंडवा जिले की सीमा में बल्कि साथ ही पड़ोसी जिलों बुरहानपुर,खरगोन,देवास,बैतूल, हरदा एवं इंदौर जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

रेलवे फाटक स्थायी रूप से बंद होगा

खंडवा। खंडवा बायपास से मथेला के बीच रेलवे का समपार फाटक क्रमांक 1 पर चूंकि रोड ओवरब्रिज बन चुका है, अत: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने इस फाटक को स्थायी रूप से बंद करने के लिए अनापत्ति जारी की है। उल्लेखनीय है कि गत 30 नवंबर, 2023 से इस रोड ओवरब्रिज पर वाहनों का आवागमन प्रारंभ हो चुका है।

अज्ञात महिला का क्षत विक्षत हालत में मिला शव,मचा हड़कंप

खंडवा । इंदौर रोड पर एक निजी स्कूल के पास एक अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कम मच गया। सूचना पर सीएसपी और पदम नगर थाना प्रभारी डॉग स्क्वॉड के साथ मौके पर पहुंचे। शुरूआती जांच में पाया गया कि महिला का शव करीब पांच दिन पुराना होना सामने आया है। महिला के शव को आवरा कुत्तों ने नुकसान भी पहुंचाया है। फिलहाल पदम नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

आरोपी के कब्जे से मछली जप्त

खंडवा । थाना कोतवाली के आरोपी सुमित पिता संतोष जाति कहार उम्र 25 साल निवासी संजय नगर खंडवा को कलेक्टर जिला खंडवा द्वारा जारी अधिसूचना आदेश का उल्लंघन करने एवं आरोपी के कब्जे से अवैध 06 नग मछली कुल वजन 40 किलोग्राम कुल कीमती 3000/-रूपए की जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध धारा धारा 5 फिशरिज एक्ट व 223 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई।

28 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित होंगे रोजगार मेले

विकासखंड मुख्यालयों पर रोजगार मेले आयोजित होंगे

खंडवा। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा जिले के पांचों विकासखंड मुख्यालयों पर रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा ने बताया कि खंडवा विकासखंड का मेला जनपद पंचायत खंडवा के सभाकक्ष में 28 जुलाई को प्रात: 11 से अपरान्ह 3 बजे के बीच आयोजित होगा। इसी तरह पंधाना विकासखंड में यह रोजगार मेला 29 जुलाई को जनपद के सभाकक्ष में, खालवा में 30 जुलाई को एनआरएलएम कार्यालय के सामने सीएलएफ भवन में, छैगांवमाखन में रोजगार मेला 31 जुलाई को जनपद के सभाकक्ष में तथा पुनासा में 1 अगस्त को जनपद पंचायत पुनासा के सभाकक्ष में प्रात: 11 से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेला आयोजित होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. गौड़ा ने ग्रामीण आजीविका मिशन के विकासखंड प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र के इच्छुक युवक युवतियों को इन रोजगार मेलों के संबंध में सूचित करें, ताकि वे इस अवसर का लाभ उठा सकें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. गौड़ा ने महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को भी निर्देश दिए हैं कि स्थानीय नियोजकों को इन रोजगार मेलों में उपस्थित होने के लिए सूचित करें ताकि वह भी खंडवा जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकें।

श्री साईं मंदिर नागचून के स्थापना दिवस पर पालकी,भंडारा और अन्य आयोजन

खंडवा। श्री साईं मंदिर नागचून का स्थापना दिवस सोमवार को मनाया गया। इस उपलक्ष्य में मंदिर में दिन भर अनेक कार्यक्रम हुए। साईं भक्त कमल नागपाल और जैकी रेवतानी ने बताया कि श्री साईं मंदिर का 12वां स्थापना दिवस अत्यंत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूर्व संध्या रविवार देर रात्रि तक भजन कीर्तन से माहौल धार्मिक हो गया। उल्लेखनीय है कि आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ खंडवा से भी बड़ी संख्या में बाबा के भक्त इस मंदिर में नियमित रूप से दर्शनार्थ पहुंचते हैं। सोमवार प्रात: 8 बजे साईं बाबा की पालकी का आयोजन हुआ, ग्राम नागचून के प्रमुख मार्गों से घूमकर पुन: मंदिर परिसर पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखी गई है। दोपहर में विशाल आम भंडारा प्रारंभ हुआ।

2 आरोपियों को 1-1 लाख रूपए के बोंड भरने के लिए आदेशित किया

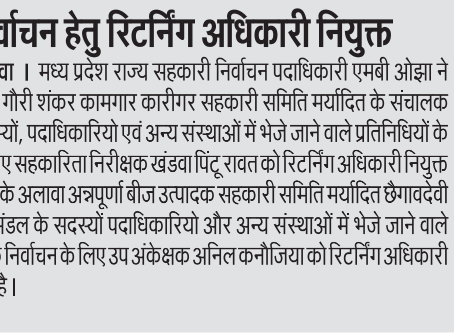

खंडवा । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभिन्न अपराधों में शामिल दो आरोपियों आकाश पिता दगडू नायक निवासी संजय नगर, थाना पदमनगर तथा मुजीब पिता कयूम निवासी मूंदी को आदेशित किया है कि वे इस बात का 1 लाख रूपये का बंधपत्र प्रस्तुत करें कि अगले 6 माह तक किसी भी अपराध में शामिल नहीं होंगे। यदि वे इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की जाएगी। आरोपी आकाश नायक को थाना पदमनगर में, तथा मुजीब को थाना मूंदी में अगले 1 वर्ष तक हर माह के पहले और आखिरी सोमवार को कुल 2 बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं।

सहकारी समितियों के संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त

खंडवा । मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी एमबी ओझा ने खंडवा की श्री गौरी शंकर कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्यादित के संचालक मंडल के सदस्यों, पदाधिकारियो एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए सहकारिता निरीक्षक खंडवा पिंटू रावत को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित छैगावदेवी के संचालक मंडल के सदस्यों पदाधिकारियो और अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए उप अंकेक्षक अनिल कनौजिया को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है।

ओंकारजी महाराज की दूसरी महासवारी धूमधाम से निकली

नवभारत न्यूज

ओंकारेश्वर । श्रावण मास की दूसरी महासवारी सोमवार को धूमधाम एवं हर्षोल्लास से ढोल धमाकों के साथ निकाली गई। अपराह्न 3.00 बजे ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर जी सजी हुई पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलें। 51 ढोलक के साथ ओंकारजी महाराज मंदिर से निकलें शंकराचार्य चौक से होकर कोटितीर्थ घाट पर पहुंचे। विद्वान पंडितों द्वारा षोडशोपचार पूजा अभिषेक संपन्न कराया गया।

मंदिर में ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर जी का महाश्रृंगार मावा भांग हार वस्त्र मुकुट से किया तथा छप्पन भोग लगाए गए जो भक्तों में वितरण किए गए। दक्षिण तट पर श्री ममलेश्वर महादेव भी सजी हुई पालकी में सवार होकर गौमुख घाट पर पहुंचे। विद्वान पंडितों द्वारा महा अभिषेक कराया गया। महा आरती के बाद दोनों पालकियों को पवित्र नर्मदाजी में नौका भ्रमण कराया गया।

गौ मुख घाट से लवाजमे के साथ दोनों पालकी में हजारों भक्त भोले शंभू भोले नाथ का उद्घोष करते हुए नाचते हुए चलें। काशी विश्वनाथ बलवाड़ी,पुराना बस मुख्य मार्ग होकर जेपी चौक, पुराना पुल से मार्केट होकर रात्रि 10 वापस मंदिर पहुंची।

इस दौरान हजारों भक्तों ने पालकियों के दर्शन कर गुलाब के फूल एवं गुलाल की वर्षा कर कपूर आरती कर अभिवादन किया।

चोरी के आरोपी से सोने के जेवर और नकदी बरामद

नवभारत न्यूज

खंडवा। पुलिस अधीक्षक खंडवा मनोज कुमार राय द्वारा चोरी, नकबजनी एवं संपत्ति संबंधी अपराध में आरोपी की गिरफ्तारी एवं मशरुका की बरामदगी करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तारतम्य में थाना प्रभारी पिपलोद निरी. सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय के नेतृत्व में धाना पिपलोद के अपराध क्रमांक 281/25 धारा 331(3), 305(a) बीएनएस के आरोपी मुस्ताक उर्फ कालु पिता मुमताज जाति मुसलमान उम्र 32 साल निवासी ग्राम सिंगोट को गिरफ्तार किया जाकर चोरी का कुल मशरूका सोने के जेवर एंव नगदी को बरामद किया गया है।

घटना का विवरण

दिनांक 18.07.25 को फरियादी श्रीराम पिता विहठल कुन्त्री पटेल निवासी ग्राम सिगोट द्वारा थाना पिपलोद पर अपराध क्रमांक 281/25 धारा 331(3), 305(a) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

विवेचना के दौरान निरीक्षक सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय थाना प्रभारी पिपलोद के नेतृत्व में उनि. प्रेमसिंग जामोद, सउनि. पीएन यादव, रणवीरसिंग,आकाश,धीरज की टीम गठित की गई। दिनांक 20.07.25 को आरोपी मुस्ताक उर्फ कालु पिता मुमताज जाति मुसलमान उम्र 32 साल निवासी ग्राम सिंगोट को गिरफ्तार कर उसके मेमो के आधार पर फरियादी के घर से चुराये सोने के जेवर एवं नगदी 15,350 रूपए कुल मशरुका राशि 75,350 रूपए का आरोपी के घर से बरामद किया है।

आरोपी मुस्ताक उर्फ कालु पिता मुमताज जाति मुसलमान को दिनांक 21. 07.25 को न्यायालय खंडवा में पेश किया गया,जहाँ से उसे जिला जेल खंडवा भेज दिया गया है।

सराहनीय भूमिका

थाना पिपलोद के थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय, उनि. प्रेमसिंग जामोद, सउनि. पौएन यादव, प्रआर 588 रणवीरसिंग, आर 285 आकाश, आर 112 घीरज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

50 आदतन अपराधियों से भरवाए बाउंड ओवर

नवभारत न्यूज

खंडवा। जिले के विभिन्न थानों में 30 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। धारा 126/135 बीएनएसएस के तहत 27 प्रकरणों मे 28 अनावेदकों के विरुद्ध, धारा 170 बीएनएसएस के तहत 02 प्रकरण मे 02 अनावेदकों के विरुद्ध अनावेदकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जिले में 50 अनावेदकों के विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई है।

पुलिस अधीक्षक खंडवा मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) महेंद्र तारणेकर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राजेश रघुवंशी के मार्गदर्शन में 02 गिरफ्तारी वारंट, 11 जमानती वारंट, 31 समन जिले के विभिन्न थानो के द्वारा अलग-अलग न्यायालय के तामील किये गए।

39 वाहन चालकों से वसूले 6700/-रुपए

जिला खंडवा मे समस्त थाना प्रभारियों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध बिना नंबर प्लेट, तीन सवारी, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट ना लगाने वाले तथा अन्य यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले 39 वाहन चालकों के विरुद्ध एम.व्ही. एक्ट के तहत कार्रवाई की गई एवं समन शुल्क 16700/-रुपए वसूल किए गए है।

उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा जिले के समस्त नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई

अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए। थाना मूंदी के आरोपिया आनंदीबाई पति आशाराम जाति भिलाला उम्र 34 साल निवासी ग्राम इंजलवाड़ा के कब्जे से 8 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती 640/-रूपए की जप्त की गई। थाना मांधाता के आरोपी सचिन पिता दशरथ वर्मा उम्र 25 साल नि टोकसर थाना सनावद जिला खरगोन के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ हाथ भटटी शराब कीमती 1000/-रूपए की जप्त की गई। उपरोक्त सभी आरोपियो के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

मसाया सोलर प्लांट के संबंध में उच्च न्यायालय में केविएट लगाई

नवभारत न्यूज

खंडवा । मसाया सोलर एनर्जी कंपनी द्वारा म.प्र. भू राजस्व सहिता के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए चरनोंई, नाला, सड़क तथा छोटे झाड के जंगल मद की सरकारी जमीन पर बिना किसी लीज या अधिग्रहण के जबरन कब्जा कर सोलर प्लांट संचालन करने के मामले में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने गत दिनों सोलर प्लांट के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी।

एसडीएम खंडवा बजरंग बहादुर ने बताया कि सोमवार को इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में केविएट भी दाखिल कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि मई माह में संभागायुक्त इंदौर संभाग की ओर से आदिवासियो की जमीन पर सोलर प्लांट लगाने के संबंध में शिकायत कार्यवाही के लिए प्राप्त हुई थी,जिस पर कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने संयुक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में दल गठित कर विस्तृत जांच कराई।

जांच करने पर यह पाया गया

जांच में यह पाया गया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगो की जमीन कंपनी को अंतरित कर कम्पनी द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया व सोलर प्लांट लगाया गया,जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि बिना खसरे के नामांतरण के,केवल कब्जे के आधार पर कंपनी द्वारा औद्योगिक उपयोग हेतु भूमि का डायवर्जन करवाया गया जो कि नियम विरुद्ध है।

योग चिंतन कर गौसेवा व मरीजों व परिजनों को कराया भोजन

नवभारत न्यूज

खण्डवा। आदर्श योग एवं संस्कार प्रतिष्ठान के संस्थापक लायन्स क्लब खण्डवा,आदर्श योग के साथ ही अनेको संस्थाओ व समाज संगठन के माध्यम से शहर की 3 पीढ़ियों को योग एवं संस्कार शिक्षा प्रदान करने वाले ,92 वर्ष की उम्र में भी स्वयं योग करने व कराने वाले योगाचार्य स्व लक्ष्मीनारायण गुप्त गुरुजी की पुण्यतिथि पर लायन व लियो सदस्यों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

जानकारी देते हुए योग संस्था के सचिव व लायन्स डिस्ट्रिक्ट चेयरमेन नारायण बाहेती ने बताया कि गुरुजी की पुण्यतिथि पर प्रातः सराफा स्थित तुलसी उद्यान पर आदर्श योग एवं संस्कार प्रतिष्ठान द्वारा नियमित संचालित योग कार्यशाला में योग व भजन कर श्रद्धांजलि दी गई। लायन्स क्लब खण्डवा व आदर्श योग एवं संस्कार प्रतिष्ठान द्वारा दोपहर में लायन्स क्लब खण्डवा द्वारा संचालित लायन्स भोजन सेवा केंद्र में योग चिंतन व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गुरुजी की स्मृति में 250 से अधिक मरीजो परिजनों व जरूरतमन्दों को भोजन कराया गया। गुरुजी को गौसेवा से बहुत लगाव था।सदस्य गुरुजी के साथ अक्सर आते थे व गौसेवा करते थे । अतः शाम को 5 बजे गणेश गौशाला में संस्था के दामोदर गर्ग के सहयोग से गायों को बाटी,चापड़, टोस्ट व खाद्य सामग्री खिलाई गई। सदस्यों द्वारा गायों का पूजन कर 108 गायों की परिक्रमा की गई।

नारायण बाहेती ने कहा योग व संस्कार के क्षेत्र में गुरुजी जैसा व्यक्तित्व न हुआ है और न होगा।आशा उपाध्याय ने योग के महत्व को बताते हुए गुरुजी के योगदान को नमन किया। सनत श्रीमाली ने कहाकि गुरुजी ने खण्डवा में उस दौर में योग शिक्षा प्रारम्भ की जब योग के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। द्वारका शर्मा ने कहा गुरुजी की प्रेरणा से उनके शिष्य अनेको स्थानों पर योग का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। टैगोर पार्क व अन्य योग स्थलों पर भी गुरुजी को श्रद्धांजलि दी गई।

श्रद्धांजलि सभा व सेवागतिविधियों में गांधी प्रसाद गदले,सुरेंद्रसिंह सोलंकी,सनत श्रीमाली,डॉ दिलीप जैन,आशा उपाध्याय,नारायण बाहेती,बलिराम तिरोले,सुशीला गदले, द्वारका शर्मा, उमाशंकर उपाध्याय,गौरवचौहान,ज्योति व्यास ,रीना व्यास, शोभा आर्य,निर्मला मालवीय, जितेंद्र राठौड़,हर्ष मण्डलोई,अपूर्व उपाध्याय,अरुण गुप्ता,अर्णव बाहेती,ओमप्रकाश शाह व सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी। नारायण बाहेती ने सभी का आभार माना।

जन-जागरुकता अभियान — नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया एवं नशे से दूर रहने के लिए शपथ दिलाई

चित्रकला,निबंध,पेंटिंग,स्लोगन,रंगोली,पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन

नवभारत न्यूज

खंडवा। मध्य प्रदेश में नशीले पदार्थो के बढ़ते उपयोग ने समाज के लिए एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है, जिससे युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। नशे की रोकथाम तथा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेषकर पुरुषों को इस समस्या से निपटने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशव्यापी जन-जागरुकता अभियान दिनांक 15.07.2025 से 30.07.2025 तक "नशे से दूरी है जरुरी" विशेष अभियान के रुप में चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उपदेश्य समाज के हर वर्ग को ड्रग्स के गंभीर दुष्परिणामों के बारे मे जागरुक करना है।

जिला खंडवा मे नशा-मुक्ति जन-जागृति अभियान को सफल बनाने के लिए दिनांक 21.07.25 को पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश द्वारा जारी जागरूकता अभियान "नशे से दूरी हैं,जरूरी" के सप्तम दिवस के क्रम में पुलिस अधीक्षक खंडवा मनोज राय के कुशल निर्देशन एवं अति पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजेश रघुवंशी व अति पुलिस अधीक्षक महेन्द्र तारनेकर के मार्गदर्शन मे जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों द्वारा प्रदेश व्यापी नशा मुक्ति जन जागृति अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों मे जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

नशा-मुक्ति जन-जागृति विशेष जागरूकता अभियान के तहत जिले के विभिन्न स्कूलों में बैनर, पेम्पलेट, चित्रकला, निबंध, पेंटिंग, स्लोगन, रंगोली, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों एवं युवाओ को नशे के प्रति जागरूक किया गया। थाना हरसूद अंतर्गत संदीपनी मॉडल स्कूल सी.एम.राइस हरसूद मे छात्र-छात्राओं को मुक्ति अभियान के संबंध में लघु फिल्म दिखाकर जानकारी दी गई एवं शपथ दिलवाई गई। थाना पिपलोद अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल ग्राम ग्राम कारपुर में विद्यार्थियों को तथा स्कूल स्टाफ को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया एवं नशे से दूर रहने के लिए शपथ दिलाई गई। थाना खालवा में हाई स्कूल ग्राम मोहनिया भाम में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत बालक बालिकाओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी एवं शपथ दिलवाई गई। थाना पंधाना अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल दिवाल मे मादक पदार्थ एवं नशे के दुष्प्रभावों के बारे में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान नशे से दूरी है जरूरी के संबंध में जानकारी दी गई एवं बच्चों को नशे की लत से दूर रहने के बारे में बताया गया। और सभी बच्चों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई।

थाना मुंदी अंतर्गत शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल खेगॉव में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के लिए निबंध, पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से भी छात्र, छात्राओं को तथा स्कूल स्टाफ, को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया एवं जागरूक किया गया नशे से दूर रहने के लिए शपथ दिलाई गई। चौकी बीड अंतर्गत नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा न करने हेतु व अपने परिवार को नशे से दूर रहने को जागरूक कर समझाइश दी गई। चौकी रामनगर अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल ग्राम जसवाडी में नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम किया गया।

कार्यक्रम में श्री दादाजी नशा मुक्ति केंद्र खंडवा में स्कूली छात्र-छात्राएं करीब 200 शामिल हुए। नशे से दूरी जरूरी कार्यक्रम में नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में छात्र-छात्राओं को समझाया गया एवं जागरूक किया गया एवं शपथ दिलाई गई। थाना धनगांव क्षेत्र के बस स्टैंड पर आने जाने वाले लोगों एवं वाहन बस ऑटो को रोक कर आज नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम अंतर्गत मुसाफिर,मजदूर वर्ग, व ग्रामीणों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया व जागरूक किया गया एवं शपथ भी दिलाई गई। चौकी रोशनी ग्राम रोशनी बाजार में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत लोगों को नशा नहीं करने के संबंध में बताया गया।

मादक पदार्थ बेचने संबंधी जानकारी मिलने पर हेल्पलाइन नंबर 1933 पर सूचना देने की जानकारी दी गई। युवा एवं अन्य नागरिकों को जागरूक करने एवं नशे की लत से दूर रहने के संबंध में पुलिस द्वारा एक अभियान "नशे से दूरी है जरूरी" इस अभियान के तहत सभी को विस्तृत जानकारी दी गई। नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम के समापन के अवसर पर सभी को नशा न करने एवं समाज को नशा मुक्त करने की शपथ दिलाई गई।